



2026:AHC:174721

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7620 वर्ष

2026

अंकित शर्मा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार, रमेश चन्द्र यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., स्येद मोहम्मद अब्बास अब्दी

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद मोहम्मद अब्बास अब्दी के तर्क सुने गए।
2. यह अग्रिम ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 377/2025 में दायर की गई है। यह प्रकरण बीएनएस, 2023 की धाराओं 61(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 308(3), 352 और 351(3) के तहत थाना बाबू पुरवा, ज़िला कानपुर नगर में दर्ज है। आवेदक ने अग्रिम ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की है क्योंकि उसे इस प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। वह सह-आरोपी शैलेंद्र कुमार शर्मा का साला है और उसे इस प्रकरण में इसलिए झूठा नामज़द

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



किया गया है क्योंकि वह अरुण कुमार अवस्थी द्वारा सह-आरोपियों अजय प्रकाश अग्निहोत्री, शैलेंद्र कुमार शर्मा और सुरेंद्र शर्मा के पक्ष में किए गए विवादित विक्रय विलेख का सीमान्त साक्षी था। आरोप यह है कि अरुण कुमार अवस्थी द्वारा बेची गई संपत्ति केवल उनकी अपनी संपत्ति नहीं थी, बल्कि उनके चार भाइयों की भी थी। आरोप है कि आरोपियों ने झूठा घोषणा-पत्र बनवाकर नगर पालिका के अभिलेख में अरुण कुमार अवस्थी का नामांतरण करवा लिया और अपने पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करवा लिया। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि गवाहों में से एक रिमझिम त्रिपाठी हैं और दूसरे आवेदक हैं। अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को केवल इसलिए गवाह बनाया गया था क्योंकि वह सह-आरोपी शैलेंद्र शर्मा का साला है। वह संपत्ति का लाभार्थी नहीं है और किसी भी तरह से उस संपत्ति पर उसका कोई दावा नहीं है। इन लेन-देन से आवेदक को जोड़ने वाला कोई धन का लेन-देन का साक्ष्य नहीं है।

4. सूचनाकर्ता के अधिवक्ता, श्री एस.एम.ए. अब्दी ने ज़मानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि न केवल तीन आरोपियों के पक्ष में एक फ़र्जी विक्रय विलेख बनवाया गया, जिसमें आवेदक एक सीमान्त साक्षी था, बल्कि बाद में वह संपत्ति सूचनाकर्ता-कंपनी, यानी राधा रमन शिष्य संप्रदाय फ़ाउंडेशन को बेच दी गई। अधिवक्ता ने आगे कहा कि असल में दीवानी मुकदमे में, सूचनाकर्ता के फ़ाउंडेशन को संपत्ति पर अपना मालिकाना हक़ बचाने के लिए संपत्ति के अन्य मालिकों के साथ समझौता करना पड़ा। विक्रय की कीमत के तौर पर दो करोड़ रुपये से ज़्यादा का भुगतान किया गया था और आवेदक व अन्य आरोपियों ने फ़र्जी दस्तावेज़ बनाकर उस रकम का गबन किया। अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आवेदक का यह कहना कि वह केवल एक सीमान्त साक्षी था, उसके काम नहीं आएगा, क्योंकि विवादित विक्रय विलेख में दूसरी साक्षी रिमझिम त्रिपाठी है, जो अरुण कुमार अवस्थी की बेटी है; अरुण कुमार अवस्थी ने अपने भाइयों की संपत्ति हड़प ली थी।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया है।

6. आवेदक को पहले कभी सज़ा नहीं हुई है। आवेदक के खिलाफ़ दिखाए गए एक अन्य आपराधिक प्रकरण में, दोषी ठहराए जाने पर भी सात साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान नहीं है। बताया गया है कि आवेदक उस विवादित विक्रय विलेख का सीमान्त साक्षी था जिसे अरुण कुमार अवस्थी ने अन्य सह-आरोपियों के पक्ष में निष्पादित किया था। ऐसा कोई सीधा साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि आवेदक को विक्रय की उस रकम का कोई हिस्सा मिला हो, जिसे सह-आरोपियों ने



सूचनाकर्ता के फ़ाउंडेशन के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करते समय हड़प लिया था। आवेदक का प्रकरण सह-आरोपियों- अजय प्रकाश अग्निहोत्री, शैलेंद्र कुमार शर्मा और सुरेंद्र शर्मा के मामलों से अलग है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विवेचना के दौरान आवेदक को अंतरिम सुरक्षा दी गई थी, न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि अग्रिम ज़मानत देने का प्रकरण बनता है।

8. आवेदक का अग्रिम ज़मानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

9. अगर उक्त प्रकरण में शामिल आवेदक- **अंकित शर्मा** को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उसे अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित पुलिस थाना के थानाध्यक्ष/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और प्रतिभू जमा करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए हाज़िर होगा;
- ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं;

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय ज़मानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम ज़मानत आवेदन पर फैसला करने के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

19 अगस्त, 2026

कुशल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।